नगर परिषद्, सोलन के आय के लेखों का विस्तृत अंकेक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 4/93 से 3/99

1. प्रारम्भिक: नगर परिषद्, सोलन के लेखों का टैस्ट ऑडिट अवधि 3/99 तक नियमित रूप से किया जा चुका है। निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि० प्र० शिमला-2 के कार्यालय आदेश संख्या: 1-3/94-यू.डी. (ऑडिट)-2099 दिनांक 15-3-2004 द्वारा अवधि 4/93 से 3/99 तक विभिन्न स्त्रोतों से जी-8 रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त आय का विस्तृत अंकेक्षण किया गया। उक्त अंकेक्षण अवधि के जी-8 (जनरल) रसीदों के अंकेक्षण को वर्षान्त 3/2003 तक बढ़ाया गया क्योंकि संदिग्ध गबन की प्रक्रिया अवधि 3/03 तक जारी रहने की सम्भावना थी। इस प्रकार अवधि 4/93 से 3/99 तथा जी-8 रसीदें (जनरल) की अवधि 3/03 तक की आय की विस्तृत पड़ताल श्री कौल सिंह, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 16-3-2004 से 24-7-2004 तक सोलन में की गई। इस कार्य के निष्पादन हेतु सर्वश्री विनय कुमार तथा विवेक शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों ने भी दिनांक 18-5-04 से 24-7-04 तक अंकेक्षण कार्य किया। विस्तृत अंकेक्षण के परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये हैं जिनके अनुसार नगर परिषद् सोलन के लेखों में रु० 56,67,498 रु० के संदिग्ध गबन की आशंका है।

2. परिषद् में विभिन्न पदों पर तैनाती:

अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद के विभिन्न पदों पर निम्नलिखित पदाधिकारी तैनात थे:-

क्र.संख्या	नाम व पदनाम	अवधि
1.	श्री अरुण कुमार, प्रशासक	7/92 से 12/95
2.	श्री बी.एम. नैंटा, सचिव	1/1996 से 12/1996
3.	श्री एस.सी. कलसोत्रा, सचिव	1/1997 से 10/1997
4.	श्री बीर सिंह गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी	11/1997 से 9/1998
5.	श्री एस. सी. कलसोत्रा, कार्यकारी अधिकारी	10/1998 से 7-1-1999
6.	श्री पुरुषोत्तम सिंह, कार्यकारी अधिकारी	8-1-1999 से 19-5-200
7.	श्री राजीव विन्दल, अध्यक्ष	1/1996 से 2/2000
8.	श्रीमति शम्मी साहनी, अध्यक्ष	1/2001 से 25-6-200
9.	श्रीमति पुनम ग्रोवर, अध्यक्ष	26-6-2002 से लगातार

3. <u>आय के स्रोत</u>:- नगर परिषद की आय मुख्यत: कर, शुल्क, किराया, प्रतिभूति आदि स्त्रोतों से प्राप्त की जाती थी।

4. <u>लेखों का रख-रखाव</u>:- हि० प्र० नगर पालिका लेखा संहिता, 1975 के नियम 19 के अनुसार नगर पालिका के नाम समस्त प्राप्त आय अथवा व्यय को साधारण रोकड़-बही जिसे फार्म जी-2 के अनुरूप सचिव के पर्यवेक्षण में तैयार करके लेखांकित करने का प्रावधान है। तत्पश्चात ही साधारण रोकड़ बही को सचिव, सचिव की अनुपस्थिति में सहायक सचिव, यदि कोई सहायक सचिव न हो तो पालिका सदस्य द्वारा दैनिक लेन-देन की मदवार पड़ताल करके पूर्ण मिलान करते हुये हस्ताक्षरित किया जाना था तथा अन्तर की स्थिति में रोकड़-बही का बैंक खातों से मिलान किया जाना आवश्यक था। उक्त लेखा संहिता के नियम 19(3) के अनुसार जैसा कि नियम 19(2) में प्रावधान है कि जब मासान्त में साधारण रोकड़-बही को चैक कर लिया गया हो तो इसे अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के सम्मुख समीक्षा एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करने का प्रावधान है। उक्त लेखा संहिता के नियम 24 तथा 25 में क्रमश:

मासिक तथा वार्षिक लेखों को तैयार करके सचिव तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षरित करवाये जाने का भी प्रावधान है। रोकड़-बही से बैंक खातों का मिलान करना अति आवश्यक है तथा अन्तर की स्थिति में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि अन्तर का मिलान हर हालत में किया जाये। पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकन से पाया गया कि अवधि 3/99 तक रोकड़-बही तथा बैंक शेष में मु० 11,27,104-29 रु० का अन्तर था जिसका ब्यौरा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/99 के पैरा 3 (ग) में दिया गया है। यह एक गम्भीर अनियमितता थी जिसका समाधान समय रहते किया जाना आवश्यक था लेकिन इस गम्भीर अनियमितता की ओर उच्च अधिकारियों द्वारा कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई गई अर्थात पूर्ण रूप से अनदेखी की गई।

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लेखों के तैयार करने

तथा रख-रखाव में कोताही बरती गई। नगर परिषद आय को निर्धारित जी-8 रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त तो किया गया लेकिन समस्त आय को सम्बंधित जी-8 लैजरों में दर्ज नहीं किया गया जैसा कि जी-8 (जनरल) रसीदों की पड़ताल से साबित होता है जिनके अनुसार राशि तो प्राप्त की गई लेकिन प्राप्त राशि का ब्योरा लैजरों एवं तत्सम्बंधी रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरुप रोकड़-बही में भी प्राप्त राशि को सम्बंधित कर्मचारी द्वारा जमा नहीं करवाया गया। इसका उल्लेख अनुवर्ती पैरा "रसीदें" में दिया गया है। रसीद पुस्तिका में प्राप्त आय/राशि को उसके क्रमांक से प्रत्येक प्राप्ति की पड़ताल न करके कैशियर को एक अमुक राशि प्राप्त दर्शा कर सौंपी गई जिसे रोकड़ बही में आय दर्शा कर जमा करवाया गया। यदि प्रत्येक रसीद से मिलान के पश्चात ही रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों की पड़ताल की गई होती तो गबन की सम्भावना को टाला जा सकता था। प्रत्येक अधिकारी

अथवा कर्मचारी का यह दायित्व है कि समस्त व्यय एवं प्राप्तियों को उनकी सत्यता दर्शाते हुये सम्बंधित रजिस्टरों में लेखांकित करें। नगर पालिका लेखा संहिता, 1975 के नियम 38 के अनुसार कार्य दिवस में परिषद कार्यालय में प्राप्त की गई राशि को फॉर्म जी-9 में चालान सहित दिन के अन्त तक, यदि बैंक बन्द हो गया हो तो आगामी कार्य दिवस को शीघ्र प्राप्त राशि को जमा करवाया जाना अनिवार्य है। तत्पश्चात चालान (जमा) की प्रति से साधारण रोकड़ बही में दर्ज जमा प्रविष्ठियों को चैक करते हुये सुरक्षा नस्ति में फाईल किया जायेगा।

अभिलेख की पड़ताल से ज्ञात होता है कि प्रशासक, सचिव, अध्यक्ष अथवा कार्यकारी अधिकारी द्वारा रोकड़बही में हस्ताक्षर करने से पूर्व कभी रसीदों से प्राप्त आय की पड़ताल नहीं की गई तथा इस चूक का दोषी कर्मचारियों द्वारा पूर्ण लाभ उठाते हुये गबन का रास्ता अपनाया गया प्रतीत होता है क्योंकि, नगर परिषद कोष पर अधिकारियों का कोई वित्तीय नियन्त्रण नहीं था जैसे कि हि०प्र० वित्तीय नियमावली, 1971 खण्ड-एक के नियम 2.33 में

नियन्त्रक अधिकारी का आन्तरिक चैक एक्सरसाईज (exercise) करने का पूर्ण दायित्व है। उक्त नियम के अनुसार:-

" In the discharge of his ultimate responsibilities for the administration of an appropriation or part of an appropriation placed at his disposal, every Controlling officer must satisfy himself not only that adequate provision exist within the departmental organisation for system at internal check calculated to prevent and detect errors and irregularities in the financial proceedings of his subordinate officers and to guard against waste and loss of public money and stores but also that the prescribed checks are effectively applied."

विस्तृत अंकेक्षण में जी-8 जनरल रसीदों से सम्बंधित समस्त रसीद पुस्तकें तथा जी-8 लैजर व अन्य रजिस्टर अंकेक्षण की पड़ताल हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये जिसके लिये अंकेक्षण के दौरान अधियाचनायें भी जारी की गई तथा समय-2 पर चर्चा में बताया गया

कि वांछित अभिलेख सम्बंधित कर्मचारी (जो अब निलम्बित है) द्वारा सौंपा नहीं गया तथा न ही तैयार किया गया। यद्यपि अंकेक्षण अधियाचना संख्या: यू.डी. (ऑडिट)-2/04 दिनांक 17-3-2004 द्वारा समस्त आय की जी-8 रसीद पुस्तकें अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया परन्तु समस्त सम्बन्धितवांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार मूल अभिलेख उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में संगत अभिलेख से अंकेक्षण द्वारा आय की प्राप्ति तथा उसके जमा की स्थिति तैयार की गई जिसे आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है (पैरा 6 से 11)।

5. <u>रसीद पुस्तकें :</u>

हि०प्र० नगर पालिका लेखा संहिता, 1975 के नियम 32 के अनुसार जब भी नगर पालिका/परिषद द्वारा कोई राशि वसूल की जायेगी तो वसूली के समर्थन में जी-8 रसीदें जारी की जायेंगी तथा इस कार्य के लिये प्रस्ताव द्वारा समय-2 पर कर्मचारी प्राधिकृत किया जायेगा कि नगर पालिका की ओर से कौन रसीदों पर हस्ताक्षर करेगा। रसीदें कार्बन पेपर पर डुप्लिकेट में लिखी जायेंगी तथा मूल रसीद सम्बंधित जमाकर्ता को जारी की जायेगी व कार्बन प्रति कार्यालय में आगामी कार्यवाही हेतु रख ली जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक राशि को जो जी-8 के अन्तर्गत प्राप्त की गई, को सम्बंधित लैजर अथवा रजिस्टरों में दर्ज किया जाना अपेक्षित था तत्पश्चात् ही प्राप्त आय को रोकड़ बही में दर्ज करके बैंक खातों में जमा करवाया जाना था।

आय मानि जी-8 रसीदों के विस्तृत अंकेक्षण में पाया गया कि मुद्रित रसीद पुस्तकों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया तथा न ही उनके जारी करने एवं

उपयोग में लाये जाने सम्बंधी ब्योरा दर्ज किया जाता था जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। प्रत्येक रसीद पुस्तक में 1 से 100 तक क्रमांक संख्या अंकित करवाई गई जबकि एक लॉट में मुद्रित करवाई गई सभी रसीद पुस्तकों में क्रमांक संख्या 1 से अन्तिम रसीद तक अंकित की जानी थी। जिस तरह से रसीद पुस्तकों में रसीदों की क्रमांक संख्यायें मुद्रित / अंकित करवाई गई उसमें जाली रसीद पुस्तकें छपवाये जाने की सम्भावना सदैव बनी रहती है। वर्तमान स्थिति में भी इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जाली रसीद पुस्तकें उपयोग में लाई गई हो क्योंकि रसीद पुस्तकों से सम्बंधित स्टॉक रसीद पुस्तकों से सम्बंधित स्टॉक प्रविष्ठियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं पाई गई। आहरण एवं वितरण अथवा नियन्त्रक अधिकारी की यह गम्भीर चूक थी कि प्रिंटर्ज के बिल का भुगतान करने से पूर्व नगर परिषद कार्यालय में प्राप्त समस्त मात्रा को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया। वैसे भी जब तक उक्त औपचारिकता को पूर्ण नहीं कर

लिया जाता, बिल के भुगतान हेतु आदेश पारित नहीं किये जाते। स्टॉक प्रविष्ठि एवं प्राप्त मात्रा के सही होने का प्रमाण बिल पर दर्ज किया जाता है। आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण न किये जाने हेतु सम्बधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये। उपरोक्त कमियों/खामियों के दृष्टिगत अवधि 4/93 से 3/2003 तक उपयोग में लाई गई कुल रसीद पुस्तकों की वास्तविक सही संख्या की स्थिति मालूम नहीं की जा सकी। यद्यपि कार्यकारी अधिकारी के पत्र संख्या: न० पा०/ऑडिट - 2003-3162 दिनांक 10-9-2003 जो कि निदेशक, शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया गया था, के अनुसार उक्त अवधि में 1300 रसीद पुस्तकें जिनका विवरण नीचे दिया गया है, मुद्रित करवा कर प्राप्त की गई जिनका विवरण भुगतान वाऊचरों से तैयार किया गया था। यह संख्या अधिक भी हो सकती है क्योंकि जिन बिलों का भुगतान न किया गया हो उनके विरुद्ध मात्रा तो प्राप्त की गई होगी व रसीदों को उपयोग में भी लाया गया होगा।

लिया जाता, बिल के भुगतान हेतु आदेश पारित नहीं किये जाते। स्टॉक प्रविष्टि एवं प्राप्त मात्रा के सही होने का प्रमाण बिल पर दर्ज किया जाता है। आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण न किये जाने हेतु सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये। उपरोक्त कमियों/खामियों के दृष्टिगत अवधि 4/93 से 3/2003 तक उपयोग में लाई गई कुल रसीद पुस्तकों की वास्तविक सही संख्या की स्थिति मालूम नहीं की जा सकी। यद्यपि कार्यकारी अधिकारी के पत्र संख्या: न० पा० लोलन - 2003-3162 दिनांक 10-9-2003 जो कि निदेशक, शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया गया था, के अनुसार उक्त अवधि में 1300 रसीद पुस्तकें जिनका विवरण नीचे दिया गया है, मुद्रित करवा कर प्राप्त की गई जिनका विवरण भुगतान वाउचर्स से तैयार किया गया था। यह संख्या अधिक भी हो सकती है क्योंकि जिन बिलों का भुगतान न किया गया हो उनके विरुद्ध मात्रा तो प्राप्त की गई होगी तथा रसीदों को उपयोग में भी लाया गया होगा।

वर्ष	वाऊचर संख्या	रसीद पुस्तकों की संख्या	टिप्पणी
1993-94	250	50	पानी दर हेतु
1993-94	250	50	सफाई शुल्क हेतु
1994-95	123	50	पानी दर हेतु
1994-95	123	50	सफाई शुल्क हेतु
1994-95	170	50	पानी दर हेतु
1994-95	374	50	पानी दर हेतु
1994-95	494	100	पानी दर हेतु
1997-98	44	100	सफाई शुल्क हेतु
1997-98	44	100	पानी दर हेतु
1997-98	44	100	जनरल हेतु
1997-98	554	100	पानी दर हेतु
1999-2000	69	100	पानी दर हेतु
2000-01	378	200	पानी दर हेतु
2000-01	378	100	जनरल हेतु
2002-03	314	100	पानी दर हेतु

उपरोक्त विवरण के अनुसार नगर परिषद द्वारा तीन प्रकार की रसीद पुस्तकें, "पानी दर", सफाई शुल्क" तथा "जनरल" मुद्रित करवा कर उपयोग में लाई गई। पानी दर रसीदें पानी अनुभाग, सफाई शुल्क रसीदें कर अनुभाग तथा जनरल रसीदें मुख्य कार्यालय शाखा में उपयोग में लाई गई। के

पानी तथा सफाई शुल्क रसीद पुस्तकें वर्तमान अंकेक्षण में लैजर/रजिस्टरों सहित उपलब्ध करवाई गई। जो रसीद पुस्तकें उक्त दोनों अनुभागों को प्रस्तुत नहीं की गई उनका ब्योरा अनुवर्ती पैरों में दिया गया है। मुख्य कार्यालय शाखा में उपयोग में लाई गई समस्त रसीद पुस्तकें लैजरों सहित अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में प्राप्त आय की पड़ताल नहीं की जा सकी। रसीदों को प्रस्तुत न करने का मुख्य कारण सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में सौंपा न जाना बताया गया, उक्त 1300 रसीद पुस्तकों में से 200 रसीद पुस्तकें "जनरल" वसूली से सम्बंधित थी तथा इसके अलावा 50 रसीद पुस्तकें वाउचर संख्या 246 मास 3/90 द्वारा मुद्रित करवा कर प्राप्त की गई थी जिनका उपयोग भी अंकेक्षण अवधि में ही किया गया। इस प्रकार 250 रसीद पुस्तकें जनरल आय की वसूली हेतु उपयोग में लाई गई जबकि अंकेक्षण में केवल 84 रसीद पुस्तकें ही प्रस्तुत की गई। शेष रसीद पुस्तकों द्वारा प्राप्त आय/राशियों को सम्बंधित लैजरों तथा रोकड़ बहियों में लेखांकित नहीं किया गया तथा न ही रसीदों एवं लैजरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई रसीद पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य समस्त रसीद पुस्तकों की तलाश हेतु उचित कदम उठाये जाये तथा दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध रसीद पुस्तकों को गुम करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये। यह कहना अनुचित होगा कि रसीद पुस्तकें गुम थी बल्कि अंकेक्षण का यह मत है कि सभी रसीद पुस्तकों के अन्तर्गत राशियाँ प्राप्त की गई लेकिन इन्हें जमा नहीं करवाया गया।

प्रस्तुत रसीदों के अवलोकन से पाया गया कि अनेकों मामलों में प्राप्त पूर्ण राशि को जमा नहीं करवाया गया अपितु आंशिक रूप से लेजर तथा रोकड़ बही में दर्ज किया गया जैसा कि पैरा शीर्ष "विश्राम गृह" में उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष में यह साबित होता है कि प्रत्येक स्तर पर रसीदों को मुद्रित करवाने, स्टॉक प्रविष्टियों से लेकर उपयोग करने तक पूर्णतया कोताही बरती गई जिससे गबन का रास्ता अपनाये जाने का मौका मिला। यदि प्रत्येक स्तर पर उचित पड़ताल के पश्चात् ही प्राप्त आय को लेखांकित किया गया होता तो गबन की प्रक्रिया को टाला जा सकता था। अंकेक्षण द्वारा जी-8 रसीद पुस्तकों के मुद्रण, स्टॉक प्रविष्टियों एवं इश्यु सम्बंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: मु: डी (ऑडिट)-31/04 दिनांक 19-6-04 द्वारा अनुरोध किया गया लेकिन अंकेक्षण समापन तक वांछित सूचनायें उपलब्ध नहीं करवाई गई।

6. रजिस्ट्रेशन शुल्क/अधिभार :-

(क) बसीका (रजिस्ट्री) शुल्क से प्राप्त आय कु० 6,95,822 रू० का संदिग्ध गबन :-

हि० प्र० नगर पालिका अधिनियम 1994 के धारा 65(2) के अनुसार स्थानीय निकायों की सीमा के अन्तर्गत सम्पत्ति के क्रय-विक्रय की बसीका (रजिस्ट्रेशन) पर अधिभार स्थानीय निकायों द्वारा वसूल करने का प्रावधान है। उक्त धारा के अन्तर्गत हि०प्र० सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: एल. एस. जी.-डी (1)-9/95 दिनांक 24-8-2000 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर सम्पत्ति की सेल डीड/रजिस्ट्रेशन पर 2% अधिभार मास 8/2000 से लागू किया गया। इस अधिभार को जी-8 रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त किया जाता था

उक्त स्रोत से प्राप्त आय की विस्तृत पड़ताल करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: यू. डी. (ऑडिट)-6 दिनांक 31-3-2004 द्वारा समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसके सम्बंध में मौखिक रूप से बताया गया कि नगर परिषद कार्यालय में पंजीकरण अधिभार/शुल्क से सम्बंधित वर्गीकृत रजिस्टर के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख जैसे कि

जी-8 रसीदें, लेजर/रजिस्टर जिनमें रसीदें लेखांकित की गई आदि कोई भी अभिलेख नगर परिषद कार्यालय में मौजूद नहीं था क्योंकि सम्बंधित कर्मचारी (जो अब निलम्बित था) द्वारा इसे सौंपा नहीं गया अथवा तैयार ही नहीं किया गया। यद्यपि जी-8 रसीदें जारी की गई क्योंकि इनके अभाव में तहसील कार्यालय में पंजीकरण नहीं किया जाता था। इस प्रकार इन परिस्थितियों में अंकेक्षण के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था सिवाये इसके कि स्थानीय तहसीलदार के कार्यालय से रजिस्ट्रेशन से सम्बंधित नस्तियों की पड़ताल करके प्राप्त की गई राशियों का विवरण तैयार किया जाता। तहसील कार्यालय में तैयार किये गये अभिलेख के अनुसार प्रायः नगर परिषद द्वारा जारी मूल रसीद जिसके अन्तर्गत परिषद द्वारा 2% अधिभार/शुल्क की वसूली की गई थी, वसीका (रजिस्ट्रेशन डीड) डाक्यूमेंट के साथ चिपकाई गई थी तथा कुछेक मामलों में वसीका के प्रथम पृष्ठ पर अधिभार वसूली की टिप्पणी दर्ज की गई थी जिसे आगामी अलग पैरे में वर्णित किया गया है। इस प्रकार तहसील कार्यालय में रजिस्ट्रियों के अवलोकन के

पश्चात् अवधि 5-8-2000 से 25-11-2001 तक इस स्रोत से कुल मु० 11,72,198रू० की बसूली जी-8 रसीदों के तहत् की गई जिसका पूर्ण माह-वार विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" में दिया गया है जिसके विरुद्ध नगर परिषद के कार्यालय मे तैयार किये गये वर्गीकृत एबस्ट्रैक्टर एवं रोकड़-बही के अनुसार कुल मु० 4,76,376रू० ही जमा करवाये गये जिसका वर्ष-वार विवरण उक्त परिशिष्ट के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है। इस प्रकार मु० 6,95,822रू० नगर परिषद् कोष मे कम जमा करवाये गये अर्थात् मु० 6,95,822रू० का संदिग्ध गबन किया गया प्रतीत होता है। यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु लाया जाता है कि मामले की पूर्ण छानबीन करवाकर कम जमा राशि की बसूली सम्बधित अधिकारियों/कर्मचारियों से शीघ्र करके नगर परिषद कोष में जमा करवाई जाये तथा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही भी अमल में लाई जाये।

(ख) बसीका (रजिस्ट्री) के पंजीकरण शुल्क से प्राप्त आय मु० 16,323 रु० का संदिग्ध गबन:

स्थानीय तहसीलदार कार्यालय में दर्ज बसीका (रजिस्ट्रियों) के अवलोकन से पाया गया कि नगर परिषद की सीमा के भीतर सम्पत्ति की सेल डीड पर निर्धारित 2% की दर से नगर परिषद द्वारा अधिभार की वसूली की जाती थी जिसके एवज में जारी जी-8 रसीदें बसीका (रजिस्ट्री) के साथ संलग्न की जाती थी लेकिन नीचे दिये गये मामलों में जी-8 रसीदें रजिस्ट्रीयों के साथ संलग्न नहीं पाई गई किन्तु शुल्क जमा करवाये जाने सम्बंधी रसीद की संख्या तथा तिथि का उल्लेख इन रजिस्ट्रियों में किया गया था। नगर परिषद कार्यालय में इन वसूलियों का लेखांकन नहीं पाया गया जिससे साबित होता है कि इन मामलों में प्राप्त की गई राशियों का भी संदिग्ध गबन किया गया। अतः इन प्राप्तियों की पुष्टि रोकड़-बही में करवाई जावे अन्यथा रु० 16,323 रु० की वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाई जावे।

नाम	स्टैम्प मूल्य रु	डीड संख्या	तिथि	राशि रु	रसीद संख्या
राकेश कुमार शर्मा	36000	895	16-10-2001	720	45/12
श्याम सुन्दर गुप्ता	78000	924	29-10-2001	1560	46/42
अरुणा दत्त शर्मा	2700	949	7-11-2001	54	48/25
नरेन्द्र सिंह ठाकुर	1800	980	21-11-2001	36	-
शीला देवी	4800	995	23-11-2001	96	49/98
इन्द्र कुमार ठाकुर	7200	997	23-11-01	144	49/84
उर्मिल	18000	1061	11-12-2001	360	50/68
प्रबोध कुमार सूद	21420	1063	12-12-2001	428	50/83
शिवेन्द्र पाल सिंह	8500	1072	15-12-2001	170	50/98
सुशील कुमार सूद	27600	833	26-9-2001	552	35/73
राज कुमार असीन	15000	1080	18-12-2001	300	52/11
भूपिन्दर मिनहास	13000	1083	20-12-01	260	52/31
बिहारी लाल धीवर	8700	1121	29-12-01	174	53/8
किरपाल सिंह बेदी	54000	1125	29-12-01	1080	20/53
चारु बैनर्जी	54000	16	4-1-2002	1080	53/66
रघुनाथ दास	9500	60	15-1-2002	190	55/23
संगीता वर्मा	48000	182	20-2-2002	960	59/25
माया राम अग्रवाल	16800	183	20-2-2002	336	59/77
सनम फांचुक नेगी	6000	194	22-2-2002	120	59/88
शिव चरण गुप्ता	19200	241	8-3-2002	384	64/59
पदम चन्द	8520	242	8-3-2002	170	64/60

स० इन्द्रमोहन सिंह	36000	255	14.3-2002	720	64/88
बृजराज	6000	275	18.3-2002	120	66/24
रक्षा देवी	7200	399	26-4-2002	144	74/81
हरचरनसिंह रावत	48000	401	—"—	960	74/95
सुषमा रानी	36000	405	27-4-2002	720	74/99
वी.एस. मल्होत्रा	72000	411	30-4-2002	1140	75/26
रमेश-चन्द चौहान	24800	497	22-5-2002	496	77/47
शकुन्तला वर्मा	12000	748	13-8-2002	240	85/78
प्रेम सिंह कश्यप	57600	844	17-9-2002	1146	89/29
कस्तूरी लाल टंडन	19700	1011	2-11-2002	394	96/62
प्रेम लाल थापा	42250	1023	7-11-2002	845	96/67
शिवेन्दर योमेगर	11200	1026	7-11-2002	224	96/69

योग: 16323/-

(ग) बसीका शुल्क की मु० 11326 रु० की कम बसूली:

नगर परिषद धौरा में सम्पत्ति के क्रय-विक्रय डीड साबिका (रजिस्ट्री) की पड़ताल करने पर पाया गया कि नीचे दिये गये मामलों में निर्धारित 2% अधिभार/शुल्क जो नगरपरिषद द्वारा विचाराधीन राशि पर वसूल किया जाना था, सम्बंधित कर्मचारी द्वारा कम वसूल किया गया जिससे नगर परिषद कोष में यह राशि कम जमा हुई। अतः मु० 11,326 रु० की वसूली सम्बंधित कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र० संख्या	बसीका संख्या	व तिथि	नाम	विचाराधीन राशि	वसूली योग्य राशि रु०	वसूल की गई राशि रु०	कम वसूली रु०
1.	899	17-10-2000	मुकेश वर्मा	4,98,000	9960	1196	8764
2.	132	13-2-2001	रतन चन्द	47,000	940	700	240
3.	217	14-3-2001	सुरजीत कौर	95,500	1910	1800	110
4.	312	9-4-2001	सोनिया शर्मा	75,000	1500	180	1320
5.	795	20-9-2001	कंवलजीत	37200	744	720	24
6.	36	9-1-2002	अमर सिंह	21,000	420	360	60
7.	407	29.4-2002	अरुण कुमार साहिनी	6120	122	120	2
8.	902	7-10-2002	राम दास	60,000	1200	1000	200
9.	906	7.10-2002	रविन्दर कुमार	90,000	1800	1500	300
10	844	17-9-2002	प्रेम सिंह कश्यप	57,600	1152	1146	6
11.	411	30-4-2002	बी. एस मल्होत्रा	72000	1440	1140	300
			योग		21,188	9,862	11,326

7. ईंधन लकड़ी श्मशानघाट :-

मु० 8,86,742 रु० का संदिग्ध गबन:

नगर परिषद्, सोलन व इसके साथ लगे क्षेत्रों के मानव शवों का चम्बाघाट स्थित श्मशानघाट में दाह-संस्कार किया गया था। जिसके लिये नगर परिषद द्वारा समय-2 निर्धारित दर पर ईंधन लकड़ी बेची गई थी। परिषद् द्वारा विस्तृत अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेख की पड़ताल करवाये गये करने पर पाया गया कि उक्त लकड़ी का भण्डारण एवं इश्यु रजिस्टर अवधि 6-11-1993 तक तथा दिनांक 20-11-2002 के उपरान्त ही तैयार किया गया जबकि अवधि 7-11-1993 से 19-11-2002 तक ईंधन लकड़ी की प्राप्ति एवं जारी मात्रा का सम्बंधित रजिस्टरों में ब्योरा दर्ज नहीं किया गया जबकि प्रत्येक प्राप्ति मात्रा तथा जारी मात्रा का नियमित रूप से ब्योरा सम्बंधित रजिस्टरों में दर्ज किया जाना अपेक्षित था। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि नगर परिषद के उच्च अधिकारियों तथा उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों द्वारा नियमों

एवं अनुदेशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। जिसके लिये व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित करके तदानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाये।

विस्तृत पड़ताल में उक्त ईंधन लकड़ी की बिक्री से प्राप्त राशि की जी-8 रसीदें, लेजर/रजिस्टर आदि अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके लिये चर्चा में बताया गया कि वांछित अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा न तो तैयार किया गया तथा न ही परिषद कार्यालय को सौंपा गया जो कि गम्भीर मामला है जिसकी पूर्ण छानबीन करवाई जाने की आवश्यकता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: यू. डी (ऑडिट)-5 दिनांक 27-3-2004 द्वारा चम्बाघाट श्मशानघाट में खरीद की गई तथा बेची गई ईंधन लकड़ी का वसूली सहित ब्यौरा प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था। उपरोक्त अभिलेख के अभाव में अंकेक्षण द्वारा अवधि 4/93 से 3/03 तक ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली लकड़ी की खरीद का ब्यौरा भुगतान

वाउचरों जिनके अन्तर्गत लकड़ी ठेकेदारों व अन्य स्रोतों से क्रय की गई तथा बिक्री का ब्यौरा रोकड़ बही। वर्गीकृत रजिस्टर से तैयार किया गया। उक्त अभिलेख से तैयार किये गये विवरण के अनुसार अवधि 4/93 से 3/96 तक 2263.15 क्विंटल तथा अवधि 4/96 से 3/03 तक 4471.10 क्विंटल ईंधन लकड़ी का क्रय किया गया। जिसके बेचने से क्रमशः मु० 88,940 रु० तथा मु० 4,31,680 रु० यानि कुल मु० 5,20,620 रु० की राशि भाग परिषद कोष में जमा दर्शाई गई जबकि जमा-योग्य राशि मु० 14,07,362 रु० बनती थी जिसका पूर्ण विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" में दिया गया है। इस प्रकार मु० 8,86,742 रु० का संदिग्ध गबन किया प्रतीत होता है। यह मामला भी उच्च अधिकारियों के समक्ष उचित आगामी कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

8. अग्रिम जमा:

मु० 20,07,110 रु० का संदिग्ध गबन:-

नगर परिषद् के आय के लेखों की विस्तृत पड़ताल करने पर पाया गया कि सामान्य (जनरल) जी-8 रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त आय को सम्बंधित जी-8 रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया तथा न ही जी-8 रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण अवधि में भवन निर्माण नक्शों, पानी के कुनैक्शनों व संविदाकारों आदि से प्राप्त प्रतिभूति राशि को रोकड़ बही एवं वर्गीकृत एबस्ट्रैक्ट में समेकित करके एक शीर्ष "अग्रिम जमा" के अन्तर्गत आय के रूप में जमा दर्शाया गया। उक्त शीर्ष एवं इसके उप-शीर्षों में प्राप्त प्रतिभूति राशि के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 5/96 से पूर्व नगर परिषद् द्वारा भवन निर्माण हेतु नक्शों को पारित करने के लिये शुल्क अथवा प्रतिभूति नहीं ली जाती थी। नगर परिषद् के प्रस्ताव संख्या: 105/96 दिनांक 25-5-1996 द्वारा निर्णय लिया गया कि नगर परिषद् की सीमा के भीतर भवन निर्माण

हेतु आवेदक से मु० 2000 रु० की राशि अग्रिम/प्रतिभूति के रूप में वसूल की जाये जिसे बाद में उन्हें वापिस लौटा दिया जायेगा। यद्यपि कुछेक मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में इसे लौटाया नहीं गया और यह राशियाँ नगर परिषद कोष में ही जमा रही। नक्शों से प्राप्त होने वाली आय की यह प्रक्रिया अवधि 5/96 से 12/2000 तक जारी रही तत्पश्चात उक्त वसूली के अलावा शहरी विकास विभाग, हि० प्र० सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: एल.एस.जी. -डी (1)-9/94-खण्ड 4 दिनांक 13-12-2000 द्वारा मु० 2.50 रु० प्रति व० मी०, आवासीय/सरकारी भवनों तथा मु० 5=00 रु० प्रति वर्ग मी० की दर से वाणिज्य एवं अन्य भवनों के लिये नक्शे पारित करने हेतु दर निर्धारण किया गया जिसे दिनांक 1-1-2001 से लागू किया जाना था।

वर्तमान अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये संगत अभिलेख के अनुसार अवधि 4/93 से 3/03 तक कुल राशि मु० 41,39,033 रु० भवन निर्माण नक्शों की प्रतिभूति के रूप में परिषद में प्राप्त की गई जिसका पूर्ण विवरण इस प्रतिवेदन

के परिशिष्ट " ग " के कॉलम 1 में दिया गया है। अवधि 4/93 से 3/03 तक पानी के कुनेक्शनों से कुल राशि मु० 5,73,043 रु० प्रतिभूति के रुप में प्राप्त हुई जिसका वर्ष-वार विवरण जो रजिस्टरों से तैयार किया गया इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट " ग " के कॉलम 2 में दिया गया है। इसी प्रकार संविदाकारों व अन्य से उक्त अवधि में मु० 49,08,830 रु० की राशि प्रतिभूति के रुप में प्राप्त हुई जिसका ब्यौरा प्रतिभूति रजिस्टरों से तैयार किया गया तथा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट " ग " के कॉलम 3 में दिया गया है।

उपरोक्त वर्णित कॉलम 1,2 तथा 3 के योग कॉलम 4 के अनुसार वर्ष 1993-94 से 2002-03 तक प्रतिभूति रजिस्टरों व अन्य संगत अभिलेख के अनुसार नगर परिषद् द्वारा कुल मु० 96,20,906 रु० की राशि प्रतिभूति के रुप में अर्जित की गई जो कि नगर परिषद् कोष में जमा की जानी थी जबकि रोकड़ बही एवं वर्गीकृत एब्सट्रैक्ट

के अनुसार इस अवधि में परिषद कोष में केवल मु० 76,13,796 रु० (कॉलम 5) ही जमा पाये गये। इस प्रकार मु० 20,07,110 रु० (कॉलम 6) की राशि कम जमा करवाये जाने के फलस्वरुप इस अन्तर राशि का संदिग्ध गबन किया प्रतीत होता है। यह मामला भी उच्च अधिकारियों के समक्ष आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

इसके साथ-2 यह भी पाया गया कि संविदाकारों द्वारा प्रतिभूति राशि नगर परिषद में जमा करवाई गई जिसके समर्थन में जी-8 रसीदें जारी की गई लेकिन प्राप्त समर्पूण राशियों को कोष में जमा न करवाकर सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा गबन कर लिया गया किन्तु संविदाकारों द्वारा मूल जी-8 रसीदों को प्रस्तुति करने पर रिफण्ड प्राप्त किया गया जिससे परिषद को दोहरा नुकसान हुआ क्योंकि प्राप्त राशियों को तो जमा नहीं करवाया गया लेकिन संविदाकारों द्वारा रिफण्ड भी प्राप्त कर लिया गया।

9. **विश्राम गृह : मु० 15,59,605 रु० का संदिग्ध गबन**

श्रीश्री विश्राम गृह जिसके अन्तर्गत ठोडो ग्राउंड, नगर पालिका हॉल, छोटा- बड़ा प्रांगण, अम्बेदकर हॉल तथा विश्राम गृह से प्राप्त आय की बसूली जी-8 रसीदों के तहत परिषद् के मुख्य कार्यालय में की जाती थी। वर्तमान अंकेक्षण में जी-8 (जनरल) की सभी रसीद पुस्तकें प्रस्तुत न करके कुछेक रसीद पुस्तकें ही उपलब्ध करवाई गई जिसका उल्लेख पैरा 14 "रसीदें" में किया गया है यद्यपि अंकेक्षण अधियाचना संख्या: मु: डी (ऑडिट) 2 दिनांक 17-3-2004 द्वारा समस्त जी-8 रसीद पुस्तकें अन्य सम्बंधित अभिलेख सहित अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। सभी जी-8 रसीदों तथा लेजर/रजिस्टरों के प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में ठोडो ग्राउंड, हॉल, प्रांगण तथा अम्बेदकर हाल की प्राप्ति योग्य। प्राप्त राशि का विवरण आरक्षण रजिस्टरों तथा आवदकों के आवेदनपत्रों जो अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये, से तैयार किया गया। विश्राम गृह की आय का विवरण इसके रजिस्टरों से तैयार किया गया। इसके अलावा अंकेक्षण के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था।

ठोडो ग्राउंड के उपयोग से सम्बंधित जानकारी बिजली बोर्ड के कार्यालय से कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई जिसकी छाया प्रति इस

प्रतिवेदन के परिशिष्ट "घ" में संलग्न की गई है। इस जानकारी से यह साबित होता है कि होर्डिंग्स का उपयोग वास्तव में किया गया है जिसके लिये स्थानीय बिजली बोर्ड मण्डल द्वारा अस्थाई मीटर स्थापित किये गये थे।

इस प्रकार उप-शीर्ष होर्डिंग्स पालिका हॉल, छोटा-बड़ा प्रांगण, अम्बेडकर हॉल तथा विश्राम गृह से विस्तृत अंकेक्षण अवधि में वसूली-योग्य/प्राप्त राशि रु० 22,51,975 रु जो कि उक्त सब पैरा में वर्णित अभिलेख से तैयार की गई एवं इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "घ" के कॉलम 2 में दर्शाई गई है। परिषद की रोकड़ बही तथा वर्गीकृत एब्सट्रैक्ट के अनुसार इसी अवधि में इन स्रोतों से रु०6,92,370 रु की राशि को नगरपरिषद कोष में जमा करवाई गई जिसका वर्ष-वार विवरण उक्त परिशिष्ट के कॉलम 3 में दिया गया है। इस प्रकार अन्तर राशि रु०15,59,605 रु जो कॉलम 4 में दर्शाई गई है, कम जमा करवा कर इसका संदिग्ध गबन किया गया प्रतीत होता है। अतः यह मामला भी उच्च अधिकारियों के समक्ष आवश्यक छानबीन हेतु इस आशय से लाया जाता है कि मामले की पूर्ण छानबीन करवाई जाये तथा राशि कम जमा करवाने की स्थिति में वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से करके नगर परिषद में जमा करवाई जाये।

इसके अलावा यहाँ कहना भी उचित होगा कि उक्त दर्शाई गई कम जमा राशि से यह राशि कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि अंकेक्षण द्वारा केवल उपलब्ध करवाये गये अभिलेख से ही यह विवरण तैयार किया गया।

10. टैंडर बिक्री आय

विस्तृत अंकेक्षण में अभिलेख की पड़ताल से पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा टैंडर बिक्री रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जो कि गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण आवश्याचना संख्या: यू.डी (ऑडिट)-33/04 दिनांक 23-6-04 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से नीचे दी गई सूचनायें अंकेक्षण में उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया।

(1) टैंडर बिक्री रजिस्टर।
(2) टैंडर स्टॉक/इश्यु रजिस्टर।
(3) वर्ष 1993-94 से 2002-03 तक कुल बिक्री किये गये टैंडरों की संख्या।
(4) जी-8 रसीदें तथा लेजर।
(5) समय-2 पर निर्धारित बिक्री दरें।

सहायक अभियन्ता के पत्र संख्या: एम.सी.एल-2004/1984 दिनांक 14-7-2004 तथा पत्र संख्या:एम.सी.एल-2004-2865 दिनांक 23-7-2004 द्वारा क्रमशः वर्ष 1996-97 से 2003-04 तथा 1993-94 से 1995-96 तक समय-2 पर निर्धारित टैंडर बिक्री दरों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया जिसकी छाया प्रतियाँ परिशिष्ट "ड" में संलग्न की गई हैं। निर्माण अनुभाग में तैयार किये गये टैंडर रजिस्टरों से प्राप्त प्रस्तुत दरों के आधार पर वर्ष 1993-94 से 2002-03 तक बिक्री टैंडरों की स्थिति

तैयार करके जिसका पूर्ण विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट " ड़. " में दिया गया है, प्राप्त बिक्री राशि की गणना की गई। उक्त गणना के अनुसार अंकेक्षण अवधि में मु० 1,49,530 रु० की राशि टैंडर बिक्री से प्राप्त हुई लेकिन इस राशि के रोकड़ बही तथा अन्य संगत अभिलेख / लेजरों में जमा करने संबंधी प्रविष्टियों को अंकेक्षण में सत्यापित नहीं करवाया गया जिससे इस राशि के संदिग्ध गबन की आशंका थी। यह राशि उक्त दर्शाई राशि से कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि उदाहरण के तौर पर यदि किसी निर्माण कार्य हेतु कुल 15 टैंडर बेचे गये हों तथा 10 संविदाकारों द्वारा दरें भर कर टैंडर परिषद कार्यालय में जमा किये हों तो बिक्री टैंडरों की संख्या 10 ही मानी गई जिसे टैंडर रजिस्टरों से लिया गया जबकि 15 टैंडर फारम की वास्तव में बिक्री की गई, इस प्रकार 5 टैंडरों की बिक्री उक्त गणना में नहीं की गई। इसकी सही गणना के लिये अंकेक्षण अवधि में क्रय किये गये कुल टैंडर फारमों की संख्या ज्ञात करके अंकेक्षण टेंडिंग अवधि की शेष मात्रा को घटा कर सही स्थिति विभागीय तौर पर मालूम करके तदानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाये। इसके साथ-2 उक्त राशि के जमा हेतु सत्यापन रोकड़-बही तथा लेजरों में करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाई जाये।

11. तँहबाजारी, शूलिनी मेला :

नगर परिषद परिसर में स्थित ठोडो ग्राऊँड में प्रतिवर्ष मास जून में शूलिनी मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें छोटे दुकानदारों से तँहबाजारी के रूप में नगर परिषद् शुल्क की वसूली की गई थी तथा अस्थाई स्टॉल का निर्माण करके उन्हें सरकारी विभागों, इसके उपक्रम तथा अन्य प्रतिष्ठानों को निर्धारित किराये पर आबंटित किये गए थे। तँहबाज़ारी लेखों की पड़ताल में पाई गई अनेकों अनियमितताओं का विवरण अनुवर्ती उप-अनुच्छेदों में दिया गया है जिसके समाधान हेतु उचित कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जाये।

(क) वर्ष 2001 में आयोजित मेले में मु० 13370 रु० की आय तँहबाजारी के रूप में नगर परिषद द्वारा अर्जित की गई जिसे रोकड़ बही में लेखांकित किया गया। इस वर्ष ठोडो ग्राऊँड में कुल 43 अस्थाई स्टॉल निर्मित किये गये जिसके लिये मु० 35,850 रु० का भुगतान वाऊचर संख्या 124 मास 6/2001 द्वारा मित्तल एण्ड कं० संविदाकार को किया गया। नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या: 53/2001 दिनांक 16-6-2001 द्वारा सरकारी विभागों व इसके उपक्रमों एवं अन्य निजि प्रतिष्ठानों के लिये मु० 3500 रु० तथा

15'×10' स्टॉल मु० 4500 रु० प्रति स्टॉल किराये का निर्धारण किया गया। इस प्रकार 38 स्टाल (9'×9') के लिये मु० 3500 रु० प्रति स्टॉल की दर से मु० 1,33,000 रु० तथा 5 स्टॉल (15'×10') के लिये मु० 4500 रु० प्रति स्टॉल की दर से मु० 22,500 रु० अर्थात् कुल राशि मु० 1,55,500 रु० की वसूली की जानी अपेक्षित थी लेकिन स्टालों के किराये से प्राप्त राशि का रोकड़-बही तथा अन्य सम्बंधित रजिस्टरों में सत्यापन नहीं करवाया गया जिससे इस राशि के गबन की सम्भावना को टाला नहीं जा सकता। अत: स्टालों के किराये से सम्बंधित समस्त रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाई जाये।

(ख) वर्ष 2002 में शुलिनी मेले से तहबाजारी, स्टॉल तथा झूलों से क्रमश: मु० 14815 रु०, 46000 रु० तथा मु० 30,000 रु० की आय रजिस्टर के अनुसार दर्शाई गई जो मु० 90815 रु० बनती थी जिसके विरुद्ध केवल मु० 49315 रु० ही जमा किये दर्शाये गये। इस प्रकार प्राप्त राशि में से मु० 41,500 रु० कम जमा करवाये गये जिसकी जमा पुष्टि रोकड़ बही में रसीदों के आधार पर

करवाई जाये अन्यथा वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से शीघ्र की जाये। इसके अलावा इस वर्ष 39 अस्थाई स्टालों का निर्माण किया गया जिसमें 33 स्टॉल 9'x9' तथा 6 स्टॉल 18x12' आकार के निर्मित किये गये। इस वर्ष के लिये निर्धारित किराया सम्बन्धी आदेश/प्रस्ताव संप्रेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किये गये। तेहबाज़ारी रजिस्टर के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इस वर्ष तीन किराये की दरें रू० 3500रु० रू० 2500रु० तथा रू० 1000रु० से वसूली की गई। उक्त रजिस्टर के अनुसार यह वसूली केवल 16 स्टॉल के लिये रू० 46000रु० की गई जबकि 23 स्टॉलों से प्राप्त किराये की वसूली का ब्यौरा रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया तथा न ही इसकी रसीदें प्रस्तुत की गई। इस प्रकार 23 स्टॉलों से प्राप्त किराये के संदिग्ध गबन की आशंका है जिसके लिये पूर्ण छानबीन करवाकर विभागीय तौर पर राशि की गणना करके तदानुसार वसूली की जाये।

(ग) वर्ष 2000 में श्रूलिनी मेले के दौरान बाहर से रू० 9315 रु० की वसूली तेहबाज़ारी के रूप में की गई जिसे लेखों में लेखांकित किया गया। इस वर्ष रोड़ी ग्राउंड में 36 अस्थाई

स्टॉलों का निर्माण किया गया जिसका भुगतान वाउचर संख्या 146 मास 6/2000 द्वारा रु० 45,075 रु० संविदाकार को किया गया। वर्ष 2000 के लिये निर्धारित किराये की दर से सम्बंधित प्रस्ताव अथवा कार्यालय आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये तथा रसीदें व अन्य अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में वसूली योग्य राशि, वसूल की गई राशि की पुष्टि रोकड़-बही व अन्य संगत अभिलेख में नहीं की जा सकी। यद्यपि तहबाजारी के रजिस्टर पृ० 25 पर टिप्पणी दर्ज की गई थी कि डोडी ग्राउंड की तहबाजारी की रसीदें श्री कर्म सिंह द्वारा काटी गई हैं। इस तथ्य की पुष्टि करवाई जाये कि यदि तहबाजारी की रसीदें श्री कर्म सिंह द्वारा काटी गई हों तो तहबाजारी शुल्क के साथ-2 स्टॉलों की आय की वसूली भी सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद् कोष में जमा करवाई जाये।

(ख) वर्ष 1999 में नलिनी मेले के लिये 34 अस्थाई स्टॉलों का निर्माण किया गया जिसके लिये रु० 33675 रु० का भुगतान वाउचर संख्या 200 मास 7/99 द्वारा संविदाकार को किया गया। प्रस्ताव संख्या: 1012/99 दिनांक 23-6-99 द्वारा सरकारी विभागों के

लिये मु० 2000रु० तथा अन्य के लिये मु० 2500रु० प्रति स्टॉल किराया निर्धारित किया गया। स्टॉलों के आबंटन से सम्बंधित तथा प्राप्त आय का कोई ब्योरा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 1998 में डोंडो ग्राउंड में 33 अस्थाई स्टाल निर्मित करके विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों के लिये किराये पर आबंटित किये गये लेकिन किराया दर सम्बंधी कागजात एवं आय प्राप्ति का कोई ब्योरा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इन वर्षों में वसूली-योग्य राशि तथा वसूल की गई राशि की रोकड़ बही व अन्य संगत लैजरों में पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः समस्त सम्बंधित अभिलेख की जाँच-पड़ताल करवाकर वसूली-योग्य राशि व वसूल की गई राशि का ब्योरा तैयार करके यदि कम वसूली की गई हो तो सम्बंधित कर्मचारियों से वसूली करके नगरपरिषद कोष में जमा की जाये।

(12.) <u>कम जमा :</u>

विस्तृत पड़ताल में पाया गया कि नीचे दिये गये मामलों में जी-8 (जनरल) रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त की गई आय को रोकड़-बही में दर्ज न करने के फलस्वरूप इस प्राप्त राशि का संदिग्ध गबन किये जाने की आशंका थी। अतः पूर्ण छान-बीन करके वसूली सम्बंधित कर्मचारियों / अधिकारियों से करके नगरपरिषद कोष में जमा करवाई जाये।

वर्ष	क्रम संख्या	रसीद पुस्तक संख्या / रसीद संख्या	प्राप्त राशि रु०	जमा राशि रु०	कम जमा राशि रु०	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1995-96.	1.	54/1 दिनांक 3/7/95.	750/-	—	750/-	विश्रामगृह आय.
	2.	54/4 से 54/19 दिनांक शून्य	13,950/-	—	13950/-	—यथो०—
	3.	65/48 दिनांक शून्य.	840/-	—	840/-	रेहड़ी शुल्क
	4.	65/49 से 65/53 दिनांक शून्य	7,150/-	—	7,150/-	विश्रामगृह आय.
	5.	66/47 से 66/49 " "	1,017/-	—	1,017/-	किराया माहिला आवास
	6.	66/50 " "	35/-	—	35/-	पेड़ काटने हेतु.
	7.	66/51 व 66/52. " "	16.50/-	—	16.50/-	जन्म प्रमाण पत्र.
	8.	66/53 " "	1000/-	—	1000/-	विश्राम गृह आय
	9.	66/54. " "	840/-	—	840/-	रेहड़ी शुल्क
	10.	68/81 " "	1300/-	300/-	1000/-	विश्रामगृह
	10.	70/41 " "	500/-	—	500/-	—यथो०—
	11.	70/62 " "	500/-	—	500/-	—यथो०—
	12.	70/63 से 70/73 " "	951.50/-	—	951.50/-	विविध आय
	13.	70/74 " "	1000/-	—	1000/-	विश्रामगृह
	14.	70/75 " "	3/-	—	3/-	जन्म प्रमाणपत्र
	15.	22/6 दिनांक 10/10/95	1050/-	300/-	750/-	विश्रामगृह
	16.	22/7 दिनांक 12/10/95.	800/-	300/-	500/-	—"—
		योग :-	31703/-	900/-	30,803/-	

क्र	क्रम संख्या	रसीद पुस्तक संख्या/ रसीद संख्या.		प्राप्त राशि.	जमा राशि	कम जमा राशि.	टिप्पणी.
	2.	3.		4.	5.	6.	7.
-96.	17.	22/19	दिनांक शून्य	2,300/-	—	2,300/-	किराया ढोडो ग्राउंड.
	18.	22/20	" "	270/-	—	270/-	किराया महिला छात्रावास.
	19.	22/21 से 22/26	" "	715/-	—	715/-	विविध प्राप्त आय
	20.	22/27	" "	1,800/-	—	1,800/-	विश्रामगृह आय
	21.	22/28	" "	1.50/-	—	1.50/-	नोटिस की कापी
	22.	22/29	" "	300/-	—	300/-	किराया ढोडो ग्राउंड
	23.	22/30 से 22/31	" "	150/-	—	150/-	विविध आय.
	24.	24/1 से 24/5	" "	4,022/-	—	4022/-	—"—
	25.	24/6	" "	300	—	300/-	विश्रामगृह आय.
	25.	25/8	दिनांक 30 10/95.	1,900/-	—	1,900/-	—"—
	26.	25/16 से 25/19	दिनांक शून्य.	5,807/-	—	5,807/-	विविध आय.
	27.	25/12	" "	800/-	300/-	500/-	विश्रामगृह आय.
	28.	28/37	दिनांक 6 11/95	2000/-	—	2000/-	—"—
	29.	28/51	दिनांक शून्य	500/-	—	500/-	—"—
	30.	28/52 से 28/65	दिनांक शून्य	1936/-	—	1,936/-	विविध आय
	31.	28/66	" "	1,300/-	—	1,300/-	विश्रामगृह आय.
	32.	28/67 से 28/68	" "	670/-	—	670/-	विविध आय.
	33.	28/69	" "	1,800/-	—	1,800/-	विश्रामगृह आय
	34.	30/1 व 30/2	दिनांक 20 11/95.	1,600/-	600	1,000/-	—"—
	35.	30/21	दिनांक शून्य	1,300/-	300/-	1,000/-	—"—
	36.	30/25 से 30/28	" "	2,727/-	—	2,727/-	विविध आय
	33.	30/29	दिनांक 28 11/95	1,550/-	—	1,550/-	विश्रामगृह आय.
	34.	33/12	दिनांक 30 12/95	3,000/-	—	3,000/-	ढोडो ग्राउंड किराया.
	35.	33/14	दिनांक शून्य	1,300/-	—	1,300/-	विश्रामगृह आय
	36.	33/15	" "	100/-	—	100/-	मॅप प्रति हेतु.
	37.	33/16	" "	1,800/-	—	1,800/-	विश्रामगृह आय.
	38.	33/17 से 33/20.	" "	107.50/-	—	107.50/-	विविध आय.
	39.	33/21 से 33/22	" "	2300/-	—	2300/-	विश्रामगृह आय.
	40.	33/24	" "	3/-	—	3/-	जन्म प्रमाण पत्र.
	41.	33/26	" "	1,500/-	—	1500/-	विश्रामगृह आय.
	42.	35/13 से 35/16	दिनांक 8 2/96.	7,180/-	—	7,180/-	किराया विश्रामगृह व ढोडो ग्राउंड.
	43.	35/20 से 35/28	दिनांक शून्य.	4,738/-	—	4,738/-	विविध आय.
	44.	35/29 से 35/30	" "	5,000/-	—	5,000/-	विश्रामगृह व ढोडो ग्राउंड आय
		योग (आगे ले जाया गया)		92,480/-	2,100/-	90,380/-	

2.	3.	4.	5.	6.	7.
45.	40/38 दिनांक $18\frac{3}{96}$.	8/-	—	8/-	जन्म प्रमाणपत्र.
46.	40/39 दिनांक शून्य.	1,000/-	—	1000/-	विश्रामगृह आय.
47.	40/81 से 40/82 " "	3,056/-	—	3,056/-	विविध आय.
48.	40/83 " "	1,000/-	—	1,000/-	विश्रामगृह आय.
49.	40/84 से 40/89 " "	206/-	—	206/-	विविध आय.
50.	40/90 " "	1,550/-	—	1,550/-	विश्रामगृह आय.
51.	40/91 " "	360/-	—	360/-	रेहड़ी शुल्क.
52.	22/16. दिनांक $26\frac{4}{94}$	500/-	—	500/-	विश्रामगृह आय.
53.	46/1 से 46/2 दिनांक $14\frac{4}{96}$.	1,600/-	600/-	1,000/-	विश्रामगृह आय
54.	46/3. " $17\frac{4}{96}$.	1,800/-	300/-	1,500/-	—"—
55.	46/9 " $17\frac{4}{96}$	1,800/-	300/-	1,500/-	—"—
56.	46/40 " शून्य	4,000/-	—	4,000/-	ठेका ग्राउंड आय.
57.	46/25 " $25\frac{4}{96}$	4,000/-	—	4,000/-	—"—
58.	46/62 " $10\frac{5}{96}$.	250/-	—	250/-	विश्रामगृह आय
59.	46/64 " शून्य	500/-	—	500/-	ठेका ग्राउंड आय
60.	46/67 " $14\frac{5}{96}$.	1,000/-	—	1000/-	—"—
61.	46/72 " $18\frac{5}{96}$.	750/-	—	750/-	विश्रामगृह आय.
62.	46/78 " $20\frac{5}{96}$.	800/-	—	800/-	—"—
63.	46/79 से 46/81 " $20\frac{5}{96}$.	3053/-	—	3,053/-	विविध आय.
64.	2/36 दिनांक $25\frac{6}{96}$.	2050/-	300/-	1750/-	विश्रामगृह आय.
65.	2/41 " $26\frac{6}{96}$.	250/-	—	250/-	—"—
66.	2/50 " $29\frac{6}{96}$.	600/-	—	600/-	—"—
67.	2/64 " $6\frac{7}{96}$	500/-	—	500/-	—"—
68.	4/8 " $18\frac{7}{96}$	500/-	—	500/-	—"—
69.	4/16 " $20\frac{7}{96}$	400/-	—	400/-	—"—
70.	4/21 " $26\frac{7}{96}$	1800/-	—	1800/-	—"—
71.	4/27 " $2\frac{8}{96}$	800/-	300/-	500/-	—"—
72.	4/28 " $2\frac{8}{96}$	500/-	—	500/-	—"—
73.	4/35 " $5\frac{8}{96}$	250/-	—	250/-	—"—
74.	4/88 " $17\frac{8}{96}$	1000/-	—	1000/-	—"—
75.	4/40 " $6\frac{8}{96}$	9/-	—	9/-	मृत्यु प्रमाणपत्र
76.	4/98 " $21\frac{8}{96}$	1800	300	1500/-	विश्रामगृह आय
योग आगे ले जाया गया:-		1,30,172/-	4,200/-	1,25,972/-	

	2.	3.	4.	5.	6.	7.
97.	77.	11/98, 19 11/96.	500/-	—	500/-	किशोमगढ़ भाप.
	78.	13/2, 21 11/96	1300/-	300/-	1,000/-	—"—
	79.	13/34, 4 12/96	7,000/-	—	7,000/-	ठोडो ग्रांड. आप.
		कुल योग:-	1,38,972/-	4,500/-	1,34,472/-	

13. कार्यरत् महिला आवास, सोलन :-

सोलन स्थित कार्यरत् महिला आवास से किराये तथा अन्य प्रकार की वसूली नगर परिषद् द्वारा वर्ष 1996 से की जा रही थी। अंकेक्षण अवधि में किराये वसूली का यह कार्य वर्ष 1998 से पूर्व श्री विमल कुमार तथा इसके पश्चात् श्री कर्म सिंह, कनिष्ठ सहायक (अब निलम्बित) द्वारा किया गया। मासान्त में प्रत्येक महिला को बिल जारी किये जाते थे जिनकी वसूली जी-8 रसीदों (जनरल) के अन्तर्गत उक्त कर्मचारियों द्वारा की गई। उपलब्ध करवाये गये अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 12/96 तक वसूल की गई तथा किराये व अन्य प्रकार की प्रविष्टियाँ जी-8 लैज़र (रजिस्टर) में दर्ज की गई लेकिन इसके पश्चात् सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा लैज़र/रजिस्टर को तैयार नहीं किया गया तथा जी-8 रसीदें भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। महिला आवास में रहने वाली महिलाओं की हाज़री पंजिका, वेतन प्रपत्र जिनसे किराये की दर ज्ञात की जानी थी, कार्यालय द्वारा जारी बिलों की कार्बन प्रतियाँ आदि कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: यू.डी (ऑडिट)-28/04 दिनांक 23-6-04

द्वारा अनुरोध किया गया। लेकिन अंकेक्षण समापन तक वांछित अभिलेख/सूचनायें उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसके अभाव में वसूली योग्य राशि (बिलों के आधार पर), वसूल की गई राशि (रसीदों द्वारा) तथा कम जमा राशि यदि कोई हो, की गणना/पुष्टि नहीं की जा सकी।

महिला आवास से प्राप्त आय जिसे वर्गीकृत एबस्ट्रैक्ट में दर्ज किया गया, की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 1993-94 से 2002-03 तक प्राप्त आय में वर्ष 1995-96 से अचानक कमी दर्ज की गई जो कि वर्ष 1999-2000 तक जारी रही जैसे कि नीचे दी गई तालिका से साबित होता है:-

वर्ष		प्राप्त/जमा राशि रु०
1993-94	...	20,541
1994-95	...	11,519
1995-96	...	4,743
1996-97	...	6,920
1997-98	...	5,188
1998-99	...	3,896
1999-2K	...	2,196
2000-01	...	17,702
2001-02	...	13,643
2002-03	...	14,821

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 1995-96 से परिषद कोष में जमा राशि में जो कमी दर्ज की गई वह वर्ष 1999-2000 तक जारी रही जबकि महिला आवास में रहने वाली महिलाओं की संख्या सदैव 10 से अधिक रही। वर्ष 1999-2000 में महिला आवास की कुल आय रु० 2,196रु० थी जो कि चौंकाने वाली थी क्योंकि इस राशि से कहीं अधिक तो एक ही महिला से वसूली बनती थी। प्रत्येक महिला से कमरे के किराये के अतिरिक्त रु० 150रु० बिजली तथा रु० 15 रु० अन्य प्रभार के रूप में वसूली की जाती थी। इस प्रकार वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक दर्शाई गई आय सही प्रतीत नहीं होती। अतः इस मामले की पूर्ण छानबीन करवाकर विभागीय तौर पर प्रत्येक वर्ष के लिये वसूली योग्य राशि, महिलाओं की संख्या व बैलेन्स प्रविष्टि के आधार पर तैयार करके कम वसूली की भरपाई सम्बंधित कर्मचारी से करके नगरपरिषद कोष में जमा करवाई जाये।

14. जी-8 रसीदें : जैसे कि इस प्रतिवेदन के पैरा 5 "रसीद पुस्तकें" में विस्तार से उल्लेख किया है कि विस्तृत अंकेक्षण अवधि में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार कुल 1300 रसीद पुस्तकें जिनमें पानीकर, सफाई शुल्क, किराया तथा जनरल रसीद पुस्तकें सम्मिलित थी, आय की वसूली हेतु परिषद द्वारा उपयोग में लाई गई। नगरपरिषद कार्यालय में अनुभाग-वार उपयोग में लाई गई रसीद पुस्तकों की पड़ताल करने पर पाई गई त्रुटियों का वर्णन आगामी पैरों में किया गया है:-

(क) जनरल रसीद पुस्तकें : जनरल रसीद पुस्तकें नगरपरिषद कार्यालय की मुख्य शाखा में आय की वसूली हेतु उपयोग में लाई गई। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के अनुसार 200 जी-8 जनरल रसीद पुस्तकें प्राप्त की गई तथा जो रसीद बुकें वाउचर संख्या 246 मास 3/90 द्वारा प्राप्त की थी, का उपयोग भी अंकेक्षण अवधि में ही किया गया। विस्तृत अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई रसीद पुस्तकों की पड़ताल में जो त्रुटियाँ पाई गई, नीचे दर्शाई गई हैं:-

वर्ष -1-	रसीद पुस्तक संख्या -2-	रसीद संख्या व तिथि -3-	प्राप्त राशि रु० -4-	टिप्पणी -5-
1993-94	12	6 से 35 तिथि 16-2-94	67,177	जी-8 लेजर/रजिस्टर में प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई।
—"—	12	36 तिथि 17-2-94	2750	—"—

1993-94	12	37 से 42 दिनांक 19-2-94	12893	जी-8 लैजर/रजिस्टर में प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई।
—"—	12	43 तिथि 22-2-94	100	—"—
—"—	12	45 से 53/4-3-94	47934	—"—
—"—	12	54 से 57/4-3-94	9224	—"—
—"—	12	58/8-3-94	2223	—"—
—"—	12	62/24-3-94	2965	—"—
—"—	12	63 से 66/30-3-94	15779	—"—
—"—	12	67/31-3-94	2640	—"—
1994-95	12	86/24-6-94	2582	—"—
—"—	12	87 से 92/29-6-94	24856	—"—
—"—	12	93 से 95/30-6-94	3323	—"—
—"—	12	96 से 98/1-7-94	7688	—"—
—"—	12	99 व 100/4-7-94	15540	—"—
—"—	32	1 से 100/4-7-94 से 9-8-94	77700	—"—
—"—	36	1 से 100/16-9-94 से 5-4-95	2,68,563	—"—
—"—	40	1 से 100/11-10-94 से 1-11-94	11444	—"—
—"—	41	1 से 100/1-11-94 से 1-12-94	66018	—"—
1997-98	19	1 से 100/2-6-97 से 19-6-97	32742	जी-8 रजिस्टर/लैजर तैयार नहीं किये गये।
—"—	24	1 से 100/20-6-97 से ...?	23670	
—"—	25	1 से 100/25-10-97 से 26-9-98	44383	—"—
—"—	38	1 से 50 तथा 53 से 100 तिथि 18-12-97 से 2-1-98	34265	—"—
—"—	39	1 से 100/19-11-97 से 18-12-97	49339	—"—
—"—	41	1 से 98/5-8-97 से 21-1-98	3,33,967	—"—
—"—	58	1 से 100/11-3-98 से 28-3-98	9,557	—"—
—"—	59	1 से 100 23-3-98 से 27-4-98	44,205	—"—
—"—	37	1 से 100/3-1-98 से 22-1-98	151840	—"—
—"—	55	1 से 100/13-2-98 से ...?	4850	—"—

1998-99	27	2 से 100/ ...? से 26-3-99	1295	जी॰ 8-लेजर/रजिस्टर तैयार नहीं किया गया
-"-	28	1 से 98/26-3-99 से 31-3-99	1100	-"-
-"-	4	{1 से 50 तथा 54 से 100 तिथि 16-10-98 से 12-11-98}	14212	-"-
-"-	68	1 से 100/27-2-99 से ...?	360010	-"-
-"-	66	1 से 54/18-5-98	3080	-"-
-"-	64	1 से 100/27-4-98 से 30/5/98	46241	-"-
-"-	62	1 से 100/23-4-98 से ...?	2,20,481	-"-
1999-2000	32	1 से 100/21-4-99 से 25-5-99	30,022	-"-
-"-	33	1 से 100/ तिथि दर्शाई नहीं गई	6750	-"-
-"-	34	1 से 100/10-5-99 से ...?	2,40,319	-"-
-"-	35	1 से 100/25-5-99 से ...?	21,539	-"-
-"-	43	1 से 100/1-7-99 से ...?	29,341	-"-
-"-	49	1 से 100/ तिथि अंकित नहीं की गई	32997	-"-
-"-	51	1 से 100 -"-	16525	-"-
-"-	64	1 से 100 -"-	53410	-"-
-"-	66	1 से 100 -"-	39726	-"-
-"-	78	1 से 100 -"-	1,60,400	-"-
-"-		1 से 100/30-11-2k से ....?	4,35,934	-"-
2000-01	3	1 से 100/6-1-01 से 8-1-01	1270	-"-
-"-	8	1 से 100/8-1-01 से 12-1-01	1165	-"-
-"-	9	1 से 71/4-5-2k से ...?	57084	-"-
-"-	79	1 से 34 तथा 37 से 100/27/5/2k से 27/6/2k	54242	-"-
-"-	83	1 से 100/23-6-2k से 1-11-2k	350836	-"-
-"-	85	1 से 25/19-6-2k से ....?	54300	-"-
2001-02	28	1 से 4/16-6-2001 से ...?	24442	-"-
-"-	29	{1 से 19 तथा 21 से 47 28-2-02 से ...?}	161431	-"-
-"-	63	{1 से 72 तथा 74 से 79 तिथि 20-7-01}	296928	
-"-	84			

1996-97	13	43 तिथि शून्य --	2300	जी-8 लैजर/रजिस्टर तैयार नहीं किये गये
—"—	13	53/21-1-97		
—"—	13	60 तिथि शून्य --	250	—"—
—"—	14	6 तिथि शून्य --	1800	—"—
—"—	14 ..	41 तिथि 23-12-96 -- --	800	—"—
—"—	14 ..	46 तिथि 24-12-96 --	250	—"—
—"—	18 ..	77 तिथि शून्य --	500	—"—
—"—	20 ..	33 तिथि शून्य --	2000	—"—
—"—	89	1 तिथि 4-2-97 --	50	—"—
			1800	
2002-03	37	1 से 100/24-7-02 से ...?	3517976	जी-8 लैजर/रजिस्टर तैयार नहीं किये गये
—"—	93	1 से 100/8-10-02 से ...?	13,705	—"—
—"—	5	से 100/14-1-03 से 5-2-03	25861	—"—
—"—	7	1 से 100/5-2-03 से 28-2-03	4186	—"—
—"—	9	1 से 100/3-3-03 से 22-3-2003	192519	—"—
—"—	3	1 से 100/11-11-02 से 30-1-03	1843	—"—
—"—	98	1 से 100 तिथियाँ दर्ज नहीं की गई	9864	—"—

उपरोक्त मामलों में जी-8 लैजरों/रजिस्टरों में प्रविष्ठियों के अभाव में प्राप्त राशियों की रोकड़ बही में पड़ताल नहीं की जा सकी क्योंकि जी-8 रसीदों की प्रविष्ठियाँ सीधे रोकड़ बही में दर्ज नहीं की जाती अपितु सम्बन्धित जी-8 रजिस्टरों के माध्यम से ही रोकड़ बही में प्रविष्ठियाँ दर्ज की जाती हैं। इस प्रकार जी-8 रजिस्टरों के तैयार न करने तथा उनमें प्रविष्ठियाँ दर्ज न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये प्राप्त राशियों का रोकड़ बही में सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(२५) खाली रसीदें :

प्रायः रसीद बुक की रसीद संख्या 1 से 100 तक उपयोग में लाये जाने व किसी अधिकारी द्वारा चैक करने के पश्चात् ही अगली रसीद बुक इस्तेमाल हेतु स्टॉक से जारी की जाती है। वर्तमान अंकेक्षण में पाया गया कि अनेकों रसीद बुकों की समस्त रसीदों को उपयोग में न ला कर बीच में रसीदें खाली रखी गई जिन्हें बाद में किसी भी स्तर पर इस्तेमाल में नहीं लाया गया जैसा कि नीचे दिये गये मामलों से साबित होता है। यह भी एक गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिये व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाये। इस प्रकार रसीदों को खाली रख कर बाद में इसके दुरुपयोग की सम्भावना सदैव बनी रहती है इससे यह भी साबित होता है कि न्याय/परिषद की आय व इसकी प्राप्ति के लेखांकन पर प्रभारियों का कोई नियन्त्रण व हस्तक्षेप नहीं था जो कि गम्भीर अनियमितता थी। यह मामला उच्च प्राधिकारियों के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

रसीद बुक संख्या व उपयोग वर्ष		उपयोग की गई रसीदों की संख्या	खाली रसीदों की संख्या	टिप्पणी
35	1995-96	1 से 30	31 से 100	-
40	—"—	1 से 91	92 से 100	-
54	—"—	1 से 19	20 से 100	-
65	—"—	1 से 53	54 से 100	-

66 वर्ष 1995-96	1 से 54	55 से 100 -
70 —"—	1 से 75	76 से 100 -
24 —"—	1 से 6	7 से 100 -
33 —"—	1 से 22, 24 व 26	23, 25 तथा 27 से 100 -
30 —"—	1 से 29	30 से 100 -
28 —"—	1 से 69	70 से 100 -
25 —"—	1 से 19	20 से 100 -
22 —"—	1 से 31	32 से 100 -
46 वर्ष 1996-97	1 से 81	82 से 100 -
1 —"—	1 से 88	89 से 100 -
13 —"—	1 से 91	92 से 100 -
20 —"—	1 से 42	43 से 100 -
18 —"—	1 से 90, 93 से 100	91 व 92 -
3 —"—	1 से 98	99 व 100 -
1 —"—	1 से 89	90 से 100 -
7 —"—	1 से 90	91 से 100 -
16 —"—	1 से 39	40 से 100 -
1 —"—	—	— रसीद संख्या 63 गुम पाई गई
38 वर्ष 1997-98	1 से 50, 53 से 100	51 व 52 -
41 —"—	1 से 98	99 व 100 -
28 वर्ष 1998-99	1 से 98	99 व 100 -
4 —"—	1 से 50, 54 से 100	51 से 53 -
66 —"—	1 से 54	55 से 100

32	वर्ष 1999-2000	1से 12, 14 16से 20 व 22से 100	–	13, 15, 21 व रसीदें गुमपाई गई
33	—"—	1से 2 व 5से 11	3, 4 व 12 से 100	–
34	—"—	1 से 8, 9से 11 13से 100	9 व 12	–
43	—"—	1से 99	100	–
66	—"—	1से 43 45से 92 94से 100	44	93 रसीद उपरोक्त गुम पाई गई
64	—"—	1 से 84 व 100	85से 99	–
78	—"—	1से 5	6से 101	–
79	2000-01	1से 71	72से 100	–
83	—"—	1से 34 37से 100		35 व 36 गुमपाई गई
29	2001-02	1से 4	5से 100	–
28	—"—	1से 25	26से 100	–
63	—"—	1से 47	48से 100	–
84	—"—	1से 79	80से 100	–
9	2002-03	1से 13, 15, 17से 20 23से 100	16, 22	14, 21 गुमपाई गई

(ग) रसीद बुक संख्या 55 :-

रसीद बुक संख्या 55 जो दिनांक 9-1-02 से 30-1-02 तक उपयोग में लाई गई की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस रसीद बुक द्वारा कुल रु० 52927 की राशि विभिन्न स्रोतों से वसूल की गई जिसमें से रु० 32123 की राशि ही जमा करवाई गई तथा रु० 20804 की राशि का गबन कर लिया गया। यदि किसी भी प्राधिकारी द्वारा इस रसीद बुक की आय को रोकड़ बही अथवा लेजर में हस्ताक्षर से पूर्व चैक कर लिया होता तो गबन की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता था। उक्त रसीद द्वारा प्राप्त तथा जमा राशि का पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है:-

रसीद संख्या	प्राप्त राशि रु	जमा राशि रु	कम जमा राशि
1 व 2 ...	15 ...	15	-
3से	5216 ...	5216	-
13से18 ...	1066 ...	1066	-
19 गुम पाई गई		-	630
20 ...	630 ...		
21से 25	475 ..	475	-
26से 29	2513 ..	2513	-
30से 33	3849 ...	-	3849
34से 41	425 ..	425	-
42से 54	5790 ..	3790	2000 (R.No.51)
55 व 56	4000	-	4000
57से 65	4350	4350	-
66से 72 ...	1692 --	1692	-
73से81 ---	9016 ...	4516	4500 (R.No.75)
82 गुम पाई गई			
83से 88 ---	13515 ...	8015	5500 (R.No.84)
89से 94 ---	50 --	50	-
95से100 ---	325 ..	-	325
	52927	32123	20804

(ख) जी-8 पानी दर :-

नगर परिषद् के पानी अनुभाग की जी-8 रसीदों की पड़ताल करने पर नीचे दर्शाई गई रसीद पुस्तकें अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। मुख्य शाखा में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर के तैयार न किये जाने के कारण इन रसीद पुस्तकों के जारी करने सम्बंधी प्रविष्टियों की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनका उपयोग भी मुख्य शाखा में जनरल जी-8 के साथ ही किया गया हो। अतः पूर्ण छानबीन करके उपयोग में लाई गई अथवा खाली रसीद पुस्तकें खोज करके तदानुसार आगामी कार्यवाही की जाये।

क्र.संख्या	रसीद बुक संख्या	अवधि जिसमें उपयोग में लाई गई
1.	3	12/96
2	4	12/96
3.	25	2/97
4	26	2/97
5	51	4/97
6	5	10/97
7	53	10/98
8	71	11/98
9	17	2/99
10	39	11/99
11. (सामान्य रसीदबुक)	41	1999-2k.

15. <u>भण्डारण रजिस्टर का सही ढंग से अनुरक्षण न करना :-</u>

हि० प्र० नगर पालिका लेखा संहिता, 1975 के नियम 238 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी अथवा कर्मचारी जो भण्डार का प्रभारी हो, को फॉरम जी-29 के अनुरूप भण्डार रजिस्टर तैयार करना होता है। अंकेक्षण में पाया गया कि चल एवं अचल सम्पत्ति के स्टॉक एवं भण्डारण रजिस्टर नियमानुसार तैयार नहीं किये गये। यहाँ तक कि उक्त रजिस्टरों का कभी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। जो कि हि०प्र० वित्तीय नियमावली 1971 खण्ड-एक के नियम 15.17 के अन्तर्गत वर्ष में कम-से-कम एक बार किया जाना आवश्यक था। अधिकांश मामलों में बिलों के भुगतान से पूर्व स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्त मात्रा को दर्ज नहीं किया गया जैसे कि उपरोक्त पैरो में उल्लेख किया गया है। प्राप्त मात्रा के सही होने के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर में हस्ताक्षर तक नहीं किये गये जैसा कि श्मशानघाट में "ईंधन लकड़ी" के

रजिस्टर के अवलोकन से ज्ञात होता है जिसके पृष्ठ 90 (1993-94) व पृष्ठ 5 (1994-95) में 288 क्विंटल लकड़ी क्रय दर्शा कर दर्ज की गई लेकिन दर्ज मात्रा के सही होने की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये तथा न ही इश्यु प्रविष्टियां को हस्ताक्षरित किया गया। अभिलेख की पड़ताल से साबित होता है कि किसी भी स्तर पर नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा भण्डार से सम्बंधित नियमों व समय-2 पर सरकार द्वारा इस दिशा में जारी अनुदेशों की पूर्णतय: अवहेलना की गई। इसके अलावा विभागीय भण्डार का न तो स्टॉक एवं इश्यु रजिस्टर संकेक्षण में प्रस्तुत किया गया तथा न ही प्रत्यक्ष सत्यापन का कोई ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। नियमों की अनुपालना न करने के लिये सम्बंधित अधिकारियों / कर्मचारियों की जिम्मेवारी निर्धारित करके तदानुसार आगामी कार्यवाही की जाये।

16. रेहड़ी शुल्क, ट्रेड लाईसेंस शुल्क, सिनेमा कर, कोचिंग शुल्क :-

उपरोक्त स्त्रोतों से नगर परिषद में प्राप्त आय की पड़ताल अंकेक्षण में नहीं की जा सकी क्योंकि इनसे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया यद्यपि अंकेक्षण अधियाचना संख्या:पृ.डी.(ऑडिट)-29/05 दिनांक 5-6-05 तथा पृ.डी.(ऑडिट)-42/05 दिनांक 16-7-05 द्वारा समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

17. विविध: विभागीय भण्डारण रजिस्टर व इससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण भण्डार से जारी की गई सामग्री की मात्रा तथा बकाया मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी। जी-8 (जनरल) की 42 विभिन्न रसीद पुस्तकें प्रवर्तन विभाग को दिनांक 9-9-03 को जारी बताई गई जिन्हें भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण में पाया गया कि अनेकों मामलों में रसीदों पर तिथि अंकित नहीं की गई जिससे रोकड़ बही एवं लेजरों में प्राप्ति की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सकता। इस त्रुटि को न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

18. निष्कर्ष: नगर परिषद के लेखों में सुधार की अति आवश्यकता है। इस प्रतिवेदन के पैरा 6, 7, 8, 9 व 10 में वर्णित संदिग्ध गबन के मामलों में शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है तथा पैरा 11, 12, 13 व 14 में पूर्ण छान-बीन करवा कर उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(हस्ताक्षर)

सहायक नियन्त्रक
(लेखा परीक्षा)
शहरी विकास निदेशालय
हि० प्र० शिमला-2.

पृष्ठांकन सं० यू०एल०बी-ख(बी)(15) 39/86-10944-10950 दिनांक 17/9/04

प्रतिलिपि:-

1. कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन, जिला - सोलन (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह इस अभिलेख/प्रतिवेदन के संटिप्पण उत्तर निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हि०प्र० को अति शीघ्र भेजें।

2. स्थापना शाखा निदेशालय शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-2 को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

Baidya
17.09.2004

उप-नियन्त्रक (लें०प०)
निदेशालय शहरी विकास
हि०प्र० शिमला-171002.

कृते/प्रति